प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, पंजाब के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें : डॉ. पूनिया

'राजस्थान सहित जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती'

जयपुर। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई है, उसने पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरीके की लापरवाही, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना, निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस की पंजाब सरकार अक्षम है, लापरवाह है या सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकाम है? इससे कांग्रेस का जनविरोधी व विकास विरोधी चेहरा भी सामने आ गया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को पंजाब के विकास को नये आयाम देने के लिये 42750 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की नींव रखनी थी, लेकिन कांग्रेस के षड्यंत्र से एक बार फिर उसकी देश विरोधी व विकास विरोधी सोच भी सामने आ गई। राजस्थान सहित जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के कारण इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा में चूक सामान्य बात नहीं है, कांग्रेस इसी विद्वेष की राजनीति के कारण देश में अप्रासंगिक हो गई है, जनता सब देख रही है। इस घटना के बाद देश की जनता अब कांग्रेस को

- **'विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामान्य बात नहीं, देश की जनता कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंक देगी'**

कूड़ेदान में फेंक देगी।

वही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में चूक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

पंजाब में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को षड्यन्त्र पूर्वक नहीं पहुंचने देना, पंजाब की जनता का अपमान है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ओछी मानसिकता के चलते प्रदर्शनकारियों को उनके रास्ते तक जाने दिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने पंजाब कांग्रेस सरकार द्वारा फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक बरतने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस सरकार का प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं पूरे देश के होते हैं। देश के इतिहास में पहली बार है जब राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक बरती गई। राठौड़ ने कहा कि पंजाब कांग्रेस सरकार ने सोची-समझी साजिश के तहत देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक बरती और वह फिरोजपुर में कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके। इसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देकर उनके रूट में प्रदर्शनकारियों को घुसने की इजाजत दे डाली।

पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग पर रोकने की साजिश रची : शेखावत

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री और पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रभारी ने लगाए गंभीर आरोप

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रभारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग पर रोकने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

शेखावत ने कहा कि जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण पद का अपमान किया गया। यह देश का अपमान है। देश के संघीय ढांचे की अवहेलना है। आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ है। अपनी प्रतिक्रिया में शेखावत ने कहा कि कांग्रेस अलगाव की प्रवृत्ति रखती है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भरोसा दिए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री को क्लीयर रूट नहीं मिलता।

- **'यह देश का अपमान, संघीय ढांचे की अवहेलना, आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़**
- **'10 हजार सुरक्षाकर्मी प्रधानमंत्री के रूट की सुरक्षा नहीं कर पाए, ये है कांग्रेस का पंजाब मॉडल'**

उनके काफिले के सामने खुले मार्ग पर बाधा खड़ी कर दी जाती है। साफ है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब की जमीन से दूर रखने के षड्यंत्र का एक घृणित कुचक्र था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस संदर्भ में फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा।

शेखावत ने कहा कि कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। फिरोजपुर में जो हुआ, वह संविधान की अस्मिता को कलंकित करना है। कांग्रेस को देश माफ नहीं करेगा। वहीं, अपने ट्वीट में शेखावत ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेतृत्वकर्ता को फ्लाईओवर पर लगभग आधा घंटा बिताना पड़ा। इसके लिए जो भी नेता, मंत्री और अधिकारी ज़िम्मेदार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार के 10 हजार सुरक्षाकर्मी मिलकर प्रधानमंत्री के रूट की सुरक्षा नहीं कर पाए। ये है कांग्रेस का पंजाब मॉडल।

प्रदर्शनकारी हाईकोर्ट जाएंगे : चौपदार

विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे पप्पू कुरैशी ने कहा कि कई लोगों को सुबह सात बजे से पुलिस पूछताछ के लिए उठा ले गई

कर्बला मैदान पर क्रिकेट मैच आयोजित करने के खिलाफ बुधवार को मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया।

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर। कर्बला मैदान पर क्रिकेट मैच आयोजित करने के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे इस मामले को वे हाईकोर्ट ले जाएंगे।

मौके पर विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे पप्पू कुरैशी ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कई लोगों को सुबह सात बजे से पुलिस पूछताछ के लिए उठा ले गई। उन्होंने बताया कि सुबह ही यूनुस चोपदार को भी उनके घर से मुजरिम की तरह जयपुर पुलिस ने उठा लिया और अज्ञात स्थान पर ले गई। उन्होंने आगे कहा कि विधायक महेश जोशी के समर्थक भी सभी विरोध प्रदर्शन करने वालों को धमका रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि यहां कई जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। "मुझे भट्टा बस्ती से प्रदर्शन स्थल तक आते हुए चार-पांच बार पुलिस नाकों पर रुकना पड़ा और पूरे रास्ते हमारे पीछे पुलिस की एक चेतक गाड़ी, (पुलिस का गश्त वाहन) चलती रही। मानो हमने कोई चोरी या गंभीर अपराध किया हो। लोकतंत्र में क्या कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकता।"

- **प्रदर्शनकारियों के वकील के अनुसार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिलाध्यक्ष और पुलिस कमिश्नर को इस मामले में नोटिस भेजे गये हैं**

देर रात को यूनुस चोपदार से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको पुलिस ने जयसिंहपुरा खोर थाना में सुबह ही बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारी पप्पू कुरैशी को भी उनके ही घर पर दो घंटे तक नज़रबंद कर दिया गया था। उनसे पूछे जाने पर कि क्या वे कल भी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि कल से हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, परंतु हम इस मामले को हाईकोर्ट में ले जायेंगे।

उन्होंने बताया कि उनके वकील प्रतीक खण्डेलवाल ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिला अध्यक्ष और पुलिस कमिश्नर को इस पूरे प्रकरण के संबंध में नोटिस भेजा है। उन्होंने नोटिस की कॉपी राष्ट्रदूत के साथ साझा की जिसमें कहा गया है कि जिसमें लिखा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी हुई है और कई प्रदर्शनकारियों को उनके संवैधानिक अधिकार के तहत प्रदर्शन नहीं करने दिया गया और डराया धमकाया गया, जो बिल्कुल गैरकानूनी और असंवैधानिक है। यहां मैच हुए और साम्प्रदायिक स्थिति बिगढ़ी तो इसके लिये प्रशासन और मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित किया गया है और वे हाईकोर्ट जाएंगे।

पीसीसी में आज चार संभागों के प्रमुखों की कार्यशाला

जयपुर, (का.प्र.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा 6 एवं 7 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी से जीते हुए चेयरमैन तथा वाईस चेयरमैन की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किये जाने वाले आगामी कार्यक्रमों के संबंध में निर्देश प्रदान करेंगे। कार्यक्रमानुसार डोटासरा 6 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर तथा कोटा सम्भाग के नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी से जीते हुए चेयरमेन तथा वाईस चेयरमेन की बैठक लेंगे। इसी क्रम में 7 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय आयोजित बैठक में जयपुर, भरतपुर तथा अजमेर सम्भाग के नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी से जीते हुए चेयरमैन तथा वाईस चेयरमैन भाग लेंगे। बैठक में प्रतिदिन 100 व्यक्तियों से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे।

प्रदेश में ग्रीन हाइड्रो एनर्जी को दिया जाएगा बढ़ावा : सुबोध अग्रवाल

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम व ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में फोसिल फ्यूल एनर्जी पर निर्भरता कम करने के साथ ही रिन्यूवल एनर्जी क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्रीन हाईड्रो एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रस्तावित नीति में इज ऑफ रेगुलेशन यानी की ऐसे उद्योगों की स्थापना को आसानी से स्थापित करने के प्रावधान किए जाएंगे ताकि देश दुनिया के निवेशक ग्रीन हाइड्रो एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित हो सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अग्रवाल बुधवार को अक्षय ऊर्जा निगम के सभागार में उद्योग, डिस्काम्स, अक्षय ऊर्जा सहित संबंधित

- **'एनर्जी के साथ ही ऑक्सीजन, अमोनिया सहित बायोप्रोडोक्ट्स भी होंगे उपलब्ध'**

विभागों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में ग्रीन हाइड्रो एनजी की विपुल संभावनाएं है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों के साथ ही कोटा, बारां, बांसवाड़ा सहित अनेक जिलों में इस तरह के प्लांट लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन हाइड्रो एनर्जी नीति के लिए राज्य सरकार स्तर पर अलग अलग विभागों द्वारा काम किया जा रहा है। अब इसे अमली जामा पहनाने के लिए एनर्जी विभाग द्वारा ठोस नीति तैयार की जाएगी।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि ग्रीन हाइड्रो प्लांटों से इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाईड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसके साथ ही इस नई तकनीक से फयूल सेल के साथ ही ऑक्सीजन, अमोनिया, नेचुरल गैस, केमिकल यूज, पेट्रोकेमिकल सहित अनेक बायोप्रोडक्टस का उत्पादन हो सकेगा। इसके साथ ही सोलर ऊर्जा को स्टोरेज कर यूज करने की तकनीक भी विकसित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में इसकी विपुल संभावनाओं को देखते हुए ग्रीन हाईड्रो नीति में इस तरह के प्लांटों को बढ़ावा देने के प्रावधान किए जाएंगे।

अंता नगर पालिका चेयरमैन चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बारां की अंता नगर पालिका चेयरमैन चुनाव को चुनौती देने के मामले में डीएलबी के प्रमुख सचिव व निदेशक सहित अंता नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी व मौजूदा चेयरमैन मुस्तफा खान से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह निर्देश वार्ड मैंबर रामेश्वर खंडेलवाल की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि अंता नगर पालिका चुनाव में मौजूदा चेयरमैन मुस्तफा खान व एक अन्य वार्ड मेंबर जमीन मोहम्मद ने अपनी तीसरी संतान संबंधी जानकारियां नामांकन पत्र में छिपाई थी। उन दोनों के दो से ज्यादा संतानें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी और चुनाव जीते। याचिका में कहा कि प्रार्थी भी चुनाव में वार्ड मेंबर के पद पर निर्वाचित हुआ और उसने भी नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, लेकिन चेयरमैन चुनाव में वह मुस्तफा खान से एक वोट से हार गया। याचिका में कहा गया कि जब मुस्तफा खान का वार्ड मेंबर का चुनाव ही गलत है तो वह चेयरमैन पद पर कैसे निर्वाचित हो सकता है। उसने नगर पालिका चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाए। इस पर एकलपीठ ने जवाब तलब किया है।

वरिष्ठ शिक्षकों को हटाने का आदेश रद्द

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सहित अन्य विषयों के लिए आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में संशोधित परिणाम के आदेश पर पूर्व में लगे शिक्षकों को हटाने के 27 सितंबर 2018 के आदेश को रद्द कर दिया है। वहीं अदालत ने इनकी मेरिट सबसे नीचे रखने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश श्याम सुंदर शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभ्यर्थी को चयन के बाद नियुक्ति मिलती है और उस पर किसी तरह की धोखाधड़ी या अन्य आरोप नहीं है तो उसे सिर्फ संशोधित परिणाम के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

याचिकाओं में अधिवक्ता विज्ञान शाह और रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 12 जुलाई 2016 को शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। भर्ती परीक्षा के बाद छह फरवरी 2018 को याचिकाकर्ता सहित अन्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गई।

आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत करोना संक्रमित

जयपुर। आरसीए अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत करोना संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया गा है।

एसएमएस अस्पताल के प्रिंसीपल डॉ. सुधीर भंडारी ने बताया कि वैभव गहलोत ने बुधवार को अपनी कोरोना जांच कराई थी। शाम को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालाकि वह एसिम्टोमैटिक है और उनकी हालत ठीक है। फिलहाल उनको मुख्यमंत्री निवास पर ही आइसोलेट किया गया है।

एसीबी ने वर्ष 2021 में 410 घूसखोरों को दबोचा : बी. एल. सोनी

एसीबी के महानिदेशक बी.एल.सोनी और एडीजी दिनेश एम.एन. बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। एसीबी ने बीते एक वर्ष में 470 कार्रवाई करके भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का काम किया है। महानिदेशक बी.एल.सोनी ने बताया कि वर्ष 2021 के दौरान कुल 410 घूसखोर अधिकारी-कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 24 आय से अधिक संपत्ति और 32 पद का दुरुपयोग करने के प्रकरण भी दर्ज हुए। करीब 600 मामलों में चालान और एफआर लगाकर निस्तारण किया। गत वर्ष पैंडिंग केस और परिवाद व प्राथमिक जांच भी पूरी की गई और अब शेष मामलों के निष्तारण की रणनीति बनाई जा रही है।

बी.एल.सोनी और एडीजी दिनेश एम.एन. ने पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि राज्य सरकार से मिले बजट पर रिवाल्विंग फण्ड की शुरुआत की गई, जिससे एसीबी को मजबूती मिली। प्रदेशभर की सभी चौकियों को अपडेट कर घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए कई तकनीकी उपकरण भी बेड़े में शामिल किए। मुख्यालय की पहल पर प्रदेश की 51 चौकियों ने 51 गांव गोद लिए। ब्यूरो के अधिकारी समय-समय पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से मिले और ग्रामीणें को उनके अधिकार और सरकार की योजनाओं से अवगत करवाकर लाभ लेने की जानकारी दी।

- **'रिवाल्विंग फंड से मजबूती मिली, कई तकनीकी उपकरण भी खरीदे'**
- **एसीबी की 51 चौकियों ने प्रदेश के 51 गांव गोद लिये**

सोनी ने बताया कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करके आईएएस, आईपीएस और आरएएस समेत कई प्रशासनिक अफसरों को भी दबोचा। पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में 1.40 लाख की घूस मांगने वाले बारां कलेक्टर रहे इंद्र सिंह राव को पकड़ा। इसके बाद राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम मैनेजर राहुल और कोर्डिनेटर अशोक सांगवान की गिरफ्तारी के बाद आईएएस नीरज के पवन और प्रदीप गावंडे की भूमिका की जांच हुई। दिल्ली-मुंबई हाईवे निर्माण कंपनी से 5-5 लाख रुपए घूस लेने वाली बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और दौसा एसडीएम रहे पुष्कर मित्तल को दबोचा, बाद में मिलीभगत में आईपीएस मनीष अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया।

आरएएस वीरेंद्र वर्मा ओएसडी जेसीटीएसएल, आरएएस बीएल मेहरड़ा, आरएएस सुनील शर्मा मेंबर रेवन्यू बोर्ड अजमेर को गिरफ्तार कर घूस में लिए 80 लाख रुपए बरामद किए।

लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझडिया और दलाल अमित मीणा को 3 लाख की रिश्वत लेते दबोचा, साथ ही राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेष अधिकारी रवि मीणा पर भी शिकंजा कसा गया।

इनकम टैक्स के जेईएन पंकज चौधरी और डीपी मीणा को 1.50 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। खाकी को शर्मसार करने वाले आईपीएस मनीष अग्रवाल, आरपीएस सपात खान और एसीबी सवाईमाधोपुर में तैनात आरपीएस भैरूलाल मीणा, रिश्वत में अस्मत मांगने वाले आरपीएस कैलाश बोहरा की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा एसीबी ने ग्रेटर नगर निगम जयपुर की तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को कचरा संग्रहण करने वाली बीवीजी कंपनी के बकाया बिल पास कराने के एवज में 20 करोड़ की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अलवर अस्पताल में नर्सिंग व अन्य कर्मियों की संविदा भर्ती घोटाले का खुलासा कर घूस के 20 लाख रुपए बरामद किए।

खाचरियावास और यादव ने की जनसुनवाई

जयपुर, (का.प्र.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास तथा उच्च शिक्षा, गृह और न्याय राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई की। प्रतापसिंह खाचरियावास तथा राजेन्द्र सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेशभर से आये बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों एवं आम लोगों की समस्याओं को सुना।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

हमारे पिताजी **श्री सत्यनारायण शर्मा** पुत्र स्व. देवी सहाय जी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2022 को हो गया है। तीये की बैठक आगमन-प्रस्थान दिनांक 06.01.2022 को चार से पांच बजे रखी गई है। **स्थान-** कुमारनन्द हॉल, रोटरी क्लब के पास, जयपुर। **शोकाकुल-** पार्वती देवी (पत्नी), पवन, सोनिका, गौरीशंकर, सुरेश, अंशु (पुत्र-पुत्रवधू), बृजेश कुमार (भ्राता), प्रकाश नारायण, रवी, राजेश, राकेश (भतीजे), बीना-विजय जी (पुत्री-दामाद), आरव, अश्मित, आर्यन, प्रबल, अंश (पौत्र)।
मो. 7597497155

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/S A.M. Industries, 3-ब-42, जवाहर नगर, जयपुर पंजीयन संख्या 13/20/99 में दिनांक 18.08.2021 से भागीदार श्री रामावतार खंडेलवाल, रामावतार गुप्ता, विष्णु कुमार गुप्ता तथा राजेन्द्र प्रसाद खंडेलवाल रिटायर हो गये हैं। यदि किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) में आपत्ति दर्ज करायें।
M/S A.M. Industries, Jaipur

दिनांक 20.12.2021 को प्रकाशित सूचना का खण्डन जवाब
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुमुद मेहता पत्नि स्व. डॉ. राजकुमार मेहता द्वारा प्रकाशित सूचना दिनांक 20.12.2021 पूर्णत असत्य व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रकाशित करवाई गई है, प्रकाशित सूचना में मेरे अभिभाष्य नासिर खान को सोची समझी साजिश के तहत मिथ्या रूप से भूमाफिया शब्द से संबोधित किया गया है जबकि डॉ. राजकुमार मेहता द्वारा ग्राम खो नागौरियान पटवार क्षेत्र खो नागौरियान भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 708 पुराना 203 में खसरा नम्बर 3818/2, 3849/1, 3855/1, 3856/2 की जमीन का तीन बार दिनांक क्रमशः 9/9/12, 19/9/2012 व 28/9/12 बेचान इकरार किया गया है। मेरे अभिभाष्य ने दिनांक 16/12/2021 को प्रकाशित सूचना जवाब खण्डन में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि राजकुमार मेहता ने मेरे अभिभाष्य से उक्त खसरा नम्बरान बाबत इकरारनामा किया था। राजकुमार मेहता ने मेरे अभिभाष्य के हक में दिनांक 23/7/17 को रसीद एवं दिनांक 30/8/17 इकरारनामा निष्पादित किया था जिस पर बतौर गवाह कुमुद मेहता के हस्ताक्षर है तथा पहचानकर्ता के रूप में निर्मल चंद सोलंकी एडवोकेट के हस्ताक्षर है इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त इकरारनामा की पूर्ण जानकारी कुमुद शर्मा को बखूबी है इसके उपरान्त भी उनके द्वारा जानबूझकर मेरे अभिभाष्य की छवि को धूमिल करने हेतु मिथ्या कथन अंकित करते हुए प्रकाशन करवाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुमुद मेहता ने अपनी सूचना प्रकाशन में जो दिनांक 9/1/15 को रमेश चन्द सोनी द्वारा प्रकाशित सूचना का हवाला दिया है उसका पूर्व में ही मेरे अभिभाष्य द्वारा दिनांक 1/3/15 को खण्डन प्रकाशित करवा दिया गया था तथा रमेश चन्द सोनी स्वयं द्वारा भी दिनांक 17/2/2019 को अपनी द्वारा प्रकाशित सूचना का खण्डन किया जा चुका है। कुमुद मेहता द्वारा प्रकाशित सूचना में जिन सोनू चौहान व गेंदी लाल को जेल होना बताया है उनसे राजकुमार मेहता द्वारा स्वयं राजीनामा किया था। उपरोक्त वास्तविक तथ्यों के मद्देनजर पुनः सूचित किया जाता है कि कुमुद मेहता द्वारा प्रकाशित मिथ्या प्रकाशन पर ध्यान नहीं देकर किसी भी भूखण्डधारी को उक्त तथ्यों को लेकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम की स्थिति में कोई भी भूखण्डधारी मेरे अभिभाष्य से संपर्क कर वास्तविक स्थिति की जानकारी ले सकता है।
भवदीय (अनिल मोहता) एडवोकेट, मो. नं. 9314021355

नाम परिवर्तन
I Prem Lata spouse of 13910947 Rank HAV Name THAWAR SINGH Resident of A-6, Extension, Sarswati Nagar, Getor Road, Near Sector 6, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Rajasthan). I have changed my name Prem Latha to PREM LATA. My date of birth is 01.01.1956

मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी धर्मपत्नी रामबाई मीणा पत्नी श्री कालू लाल मीणा की जन्म दिनांक 10.07.1987 दर्ज है जबकि सही जन्म दिनांक 10.07.1988 है। निवासी 223/5, प्रताप लाईन, जयपुर केन्ट, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-6/21/डी-44 दिनांक-04.01.2022
सार्वजनिक सूचना- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, प्रार्थना पत्र के आधार पर दी कृष्णा कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी योजना उद्योग नगर के दुकान संख्या 7 क्षेत्रफल 55.00 वर्गगज का नियमन/पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया है। समिति द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 5 व 6 का आवंटन पत्र दिनांक 11.09.1990 को श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र शर्मा के पक्ष में जारी किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति/ संस्था/ कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06 जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते है। नियम अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-6 जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-6/21/डी-45 दिनांक-4.01.2022
सार्वजनिक सूचना- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा द्वारा आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, प्रार्थना पत्र के आधार पर दी कृष्णा कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी योजना उद्योग नगर के दुकान संख्या 8 क्षेत्रफल 55.00 वर्गगज का नियमन/पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया है। समिति द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 8 का आवंटन पत्र दिनांक 11.09.1990 को श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल के पक्ष में जारी किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06 जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते है। नियम अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-6 जविप्रा, जयपुर।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 4992/2021
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम (1) श्रीमती उर्मिला रानी गुप्ता पत्नी स्व. श्री रामचरण गुप्ता, (2) कु. ऋतु गुप्ता पुत्री स्व. श्री रामचरण गुप्ता, निवासियान-491, सुमेर नगर, वार्ड नं. 83 (पूर्व वार्ड नं. 29) तहसील सांगानेर, जिला जयपुर-302020 (3) श्रीमती अंजलि गुप्ता पुत्री स्व. श्री रामचरण गुप्ता, धर्मपत्नी श्री मनोज कुमार गुप्ता, जाति महाजन निवासी एफ-206, सरस्वती टॉवर, विद्याधर नगर, जयपुर।
निवास स्थान- उपरोक्त वर्णानुसार
मृतक श्री रामचरण गुप्ता की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 20.01.2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रामचरण गुप्ता पुत्र माणक चन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी 491, सुमेर नगर, वार्ड नं. 83 तहसील सांगानेर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20 माह 01 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 03 माह 01 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया। प्रार्थीगण ने मृतक रामचरण गुप्ता के प्रा. पत्र में वर्णित बैंक में जमा राशि व ब्याज बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
(मोहर) आज्ञा न्यायालय से वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, (फ.स.) चौमूं, जयपुर
राधाबाग कॉलोनी सीकर रोड, चौमूं
PH. NO. 01423-220047 FAX NO. 01423-223873 Email: KUMS.CHOMU@rajasthan.gov.in
क्रमांक-596-610 दिनांक- 05.01.2022
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस मंडी समिति के मुख्य मंडी प्रांगण में Supply, Installation and commissioning of Solid Waste Management Mobile Unit 250KG per day Capacity with Accessories हेतु इच्छुक विनिर्माताओं/थोक विक्रेताओं/वितरकों एवं अधिकृत डीलरों से दिनांक 13.01.2022 को दोपहर 1.00 बजे तक बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त तकनीकी निविदाओं को उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष खोला जायेगा। निविदा के संबंध में अन्य जानकारी व शर्तें राज. उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व विभागीय पोर्टल agriculture.rajasthan.gov.in/mandi/ पर या कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय समय में अवलोकन की जा सकती हैं।
NIB-DAM2122A0487
प्रशासक सचिव

प्ररूप-10
(नियम 6 (7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगर पालिका मालपुरा जिला टोंक (राज.)
क्रमांक- 7176 **लोकसूचना** दिनांक- 05.01.2022
श्री पारीक विकास सेवा समिति मालपुरा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिघृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं. क्षेत्र
टोंक	मालपुरा	ग्राम बृजलालनगर	आराजी खसरा नम्बर 1070/1652 रकबा 0.09 बीघा वाके ग्राम बृजलालनगर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मालपुरा